फ़ाइल संख्या 7/14/2024 – डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक- 30 दिसंबर 2024

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडीडी (एसएसआर) - 05/2024

विषय : यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 7/14/2024 –डीजीटीआर** : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले से वापस न ले लिया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति

पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के समाप्त हो जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. <u>विगत जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2020 को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे, जिनमें अनंतिम पाटनरोधी उपायों को लागू करने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 2 दिसंबर 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 43/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी उपाय लगाए। प्राधिकारी ने दिनांक 28 जनवरी 2021 की अधिसूचना फा.संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि की और 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिन्हे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2021 की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। उपरोक्त शुल्कों को, जब तक कि उन्हें पहले से हटा न लिया जाता, 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था और ये दिनांक 1 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले हैं।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित किए गए उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है :

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) है, जिसमें आइसोमर सामग्री का अनुपात 80:20 है"। टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र CH3C6H3 (NCO)2 है। छः में से दो संभावित आइसोमर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: 2, 4- टीडीआई (सीएएस : 584-84-9) और 2, 6- टीडीआई (सीएएस : 91-08-7)। इनमें 2,4- टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित होता है, लेकिन

टीडीआई को प्राय: 2,4 और 2,6 आइसोमर के क्रमशः 80/20 और 65/35 के मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टीडीआई से संबंधित है, जिसमें आइसोमर सामग्री (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

4. उत्पाद को कोड 2929 10 20 के अंतर्गत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहा है जो कि मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत के निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में समान वस्तु के मामले की जांच भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

7. यह आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

8. इसे देखते हुए तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। इसके अलावा, यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है, यद्यपि नियम 5(3) की अपेक्षाएं निर्णायक समीक्षा आवेदन में लागू नहीं होती हैं।

ड. <u>संबद्ध देश</u>

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

च. <u>पाटन और पाटन मार्जिन जारी रखना</u>

सामान्य मूल्य

10. संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से, आवेदक ने यह दावा किया है कि वह इन देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। आवेदक ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन को समुचित रुप से शामिल करके उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित है। जांच शुरुआत करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात मूल्य

11. आवेदक ने बाजार की जानकारी के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा- वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। चूंकि सूचना सीआईएफ आधार पर है, इसलिए इसे समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

12. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है। चाइनीज ताइपेई से कोई आयात नहीं हुआ है।

छ. <u>पाटन और क्षति की पुनरावृति होने की संभावना</u>

13. आवेदक ने पाटन किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर हो रही क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों के चलते कीमतों में आई गिरावट के कारण आवेदक के लिए पूरी लागत की वसूली करने और उचित दर पर प्रतिफल की प्राप्ति करने के लिए अपनी कीमतों में बदलाव करने में रुकावट आ रही है। आवेदक वित्तीय घाटे का सामना कर रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे भी क्षति होने की संभावना है।

14. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति हाने तथा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ज. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

15. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की जरुरत की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

झ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

16. जांच के लिए पीओआई दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक (15 माह) है। आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 माह) का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है। आवेदक ने इस आधार पर अनुरोध किया है कि प्रस्तावित 15 माह की अवधि की तुलना 23 जुलाई से 24 जून (आगे की संभावित 12 माह की अवधि) से करने पर यह पता चलेगा कि आयात की मात्रा और मूल्य मात्रा और कीमत में तुलनात्मक हैं।

17. यह जांच की अवधि उपयुक्त है, क्योंकि यह बिलकुल ही हाल की अवधि है, जो जांच शुरू होने की तारीख से 6 माह के भीतर की है और इसमें घरेलू उद्योग की वित्तीय लेखा अवधि का एक पूरा वर्ष शामिल है। इसके अलावा, विचार की गई अवधि के कारण कोई भी संदिग्ध विश्लेषण नहीं होगा। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक (15 माह) है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि शामिल है।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

18. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 28 जनवरी 2021 की अधिसूचना फा. संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

19. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर किए जाने चाहिए, साथ ही उसकी एक प्रति adv11-

dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in पर भी दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत सूचना का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हुए ऐसे आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दर्ज कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना के द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रारुप और तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को अपना अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि उन्हें जांच से संबंधित जानकारी और आगे की प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी रहे।

ठ. <u>समय सीमा</u>

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी को ई-मेल पते dd19-dgtr@gov.in तथा dd18-dgtr@gov.in पर तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in तथा adg16-dgtr@gov.in पर नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना तथा अन्य दस्तावेजों के लिए मांग से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुए माने जाएंगे। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है

अथवा अधूरी सूचना प्राप्त हाती है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. जहां भी वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

28. ऐसे प्रस्तुतीकरणों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगे ।

29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा या खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना का समुचित

रूप से और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।

31. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को समुचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रभाव पड़ने योग्य नहीं है और नियमावली 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

32. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

33. गोपनीयता के दावे पर नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

ड. <u>सार्वनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ

सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल से भेजें। अनुरोध/ प्रतिक्रिया/ सूचना का गोपनीय पाठ परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ़. <u>असहयोग</u>

36. ऐसे मामले में, जहां कोई हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ काने से इनकार करता है अथवा अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या समीक्षा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को, जैसा उपयुक्त समझें, सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी